(वाद संख्या–1150/16)

23.10.2019

परिवादी, संजीव कुमार ऊर्फ वेद प्रकाश, नोटिस दिये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित हैं।

प्रस्तुत मामला परिवादी द्वारा पटना जिलातंर्गत शाहपुर थाना के मुबारकपुर के वार्ड नं0–07 में परिवादी द्वारा अपने जमीन पर निर्माण कार्य किये जाने का कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा शाहपुर थाना के पुलिस से मिलकर, अवरोध खड़ा करने के से सम्बन्धित है।

उक्त के संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी के घर के उत्तर करीब 4–5 फीट चौड़ी गली है। परिवादी द्वारा अपनी स्वत्व वाली जमीन से एक फीट, गली की जमीन में आगे बढ़कर, निर्माण कराया जा रहा था जिसका उसके पड़ोसियों द्वारा आपति की गयी। परिवादी द्वारा उक्त आपत्ति को दरकिनार कर, पड़ोसियों की अनुपस्थिति में, गली में एक फीट आगे बढ़कर, निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया, जिस पर परिवादी के पड़ोसी, कृष्णा राय, द्वारा अनुमंडल दंडाधिकारी, दानापुर के समक्ष आवेदन दिया गया। उक्त आवेदन पर शाहपुर थाना के प्रतिवेदन के आधार पर उभय पक्ष के विरूद्ध द0प्र0स0 की धारा 107 के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। इसी से क्षुब्ध होकर परिवादी द्वारा प्रसंगाधीन आवेदन दिया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के प्रतिवेदन पर परिवादी द्वारा आयोग के समक्ष प्रत्युत्तर दिया गया तथा आयोग द्वारा निश्चित सुनवाई हेतु निर्धारित कई तिथियों को परिवादी द्वारा किसी–न–किसी आधार पर आयोग के समक्ष समयावेदन दिया जाता रहा है।

आज, परिवादी को इस निर्देश के साथ उपस्थित होने हेतु आयोग द्वारा नोटिस निर्गत किया गया कि यदि परिवादी आज सुनवाई की तिथि को उपस्थित नहीं होंगे तो प्रसंगाधीन मामले को बंद कर दिया जायेगा। इसके बावजूद भी परिवादी आज अनुपस्थित हैं।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद–पत्र में शाहपुर थाना के पुलिसकर्मियों के विरूद्ध जो आरोप लगाये गये हैं उन आरोपों की सत्यता के संबंध में परिवादी द्वारा कोई प्रमाण दाखिल नहीं किया गया

है, जबकि वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी के अपने जमीन से एक फीट आगे, गली की तरफ बढ़कर, निर्माण कार्य किये जाने के फलस्वरूप, उसके एक पड़ोसी द्वारा अनुमंडल दंडाधिकारी, दानापुर के समक्ष दिये गये आवेदन पर, अनुमंडल दंडाधिकारी, दानापुर के निर्देश पर, पुलिस द्वारा घटना स्थल पर जाकर वास्तविक स्थल प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिससे परिवादी क्षुब्ध है तथा उनकी ओर से विभिन्न पदाध्किारियों के समक्ष मनगढन्त आरोप लगाते हुए आवेदन दिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के प्रतिवेदन के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक